न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/92/2021	03.11.2021	15.03.2022

बउनवान

1– बाबू लाल पुत्र स्व. श्री रोदराम पौत्र सोहन लाल जाति माली निवासी मौहल्ला जुबली वास, अलवर तहसील व जिला अलवर राज

––प्रार्थी

बनाम

1– रामबाई पुत्री सोहन लाल स्त्री सेदू राम जाति माली निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर

2– श्रीमती रामोती पुत्री सोहन लाल पत्नि स्व० मंगतू राम जाति माली निवासी मौहल्ला खोहरा, अलवर तइसाल अलवर जिला अलवर राजा

3– मोती लाल पुत्र स्व0 भगवान

4– गुरगन पुत्र स्व0 भगवान

5– पूनम पुत्री स्व0 भगवान

6, दुर्गा पुत्री स्व0 भगवान जाति माली निवासीयान कीटोडा ट्रांसपोर्ट नगर, तूलेडा रोड, अलवर तहसील व जिला अलवर

7– लहरी राम पुत्र सोहन लाल जाति माली निवासी ग्राम कीटोडा, ट्रांसपोर्ट नगर, तूलेडा रोड, अलवर तहसील व जिला अलवर

8– बसन्ती धर्मपत्नि शंकर जाति माली

9–हर लाल

10– गोविन्दा

11– छोटे लाल पुत्रान शंकर जाति माली निवासीयान ग्राम कीटोडा ट्रांसपोर्ट नगर के पास,

12– सोना देवी पत्नि श्री सेटू राम जाति माली

13– मोहन लाल पुत्र सेदू राम

14– लक्ष्मण पुत्र सेढू राम

15– शारदा पुत्री सेटू राम जाति माली निवासीयान मौहल्ला जुबली वास, अलवर

–– असल प्रतिवादीगण

16– भूमिधारी तहसीलदार तहसील अलवर राज0

17– नगर विकास न्यास जरिये सचिव

18– आत्माराम पुत्र नानक चन्द जाति खत्री निवासी कोटाडा तहसील व जिला अलवर ..

19– इण्डियन बैंक शाखा अलवर जरिए शाखा प्रबन्धक

–– तकमीली प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– 1.श्री राहुल कुमार गुप्ता एडवोकेट ––वादी

2.श्री दिनेश कुमार यादव एडवोकेट ––प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

: निर्णय :

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज० काश्त० अधिनियम पेश किया कि आराजी वाके ग्राम [illegible] तहसील अलवर जिला अलवर राज० में स्थित है जो दावा हाजा में विवादित आराजी है वादी व असल प्रतिवादीगण मोहन लाल के वंशज है । मोहन लाल का स्वर्गवास दिनांक 16/09/1986 को हो गया है तथा मोहन लाल की पत्नि श्रीमती जानकी देवी का भी स्वर्गवास हो चुका है । मोहन लाल के चार लडके भगवान, सेलू राम, शंकर व लहरी राम है जिनमें भगवान, सेलू राम व शंकर का स्वर्गवास हो चुका है तथा मोहन लाल के दो पुत्रियां रामबाई व रामोली है । भगवान की पत्नि भोरी देवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके [illegible], मोती पुत्र है। पूनम, दुर्गा पुत्री है। सेलू राम के सोना देवी पत्नि व मोहन लाल, बाबू लाल, लक्ष्मण पुत्र है जिसमें बाबू लाल वादी है व शारदा पुत्री है। शंकर के बसन्ती पत्नि व गोविन्दा, हर लाल, छोटे लाल पुत्र है इस प्रकार वादी व असल प्रतिवादीगण एक ही खानदान के व्यक्ति हैं और वादी मोहन लाल का पौत्र है। विवादित आराजी खसरा नंबर 131 रकबा 0.19आत्मा राम पुत्र नानक चन्द का 7/15 हिस्सा विकास न्यास अलवर का 1/10 तथा मोहन लाल पुत्र बक्शू का 13/30 हिस्सा काबिज खातेदार काश्तकार है जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी व असल प्रतिवादीगण वारिस काबिज जायदाद है। विवादित आराजी के 13/30 हिस्सा मोहन लाल पुत्र बक्शू का था जिसके स्वर्गवास होने के बाद उक्त हिस्से की आराजी पर वादी व असल प्रतिवादीगण की है। असल प्रतिवादी सं0 1 का 13/180, प्रतिवादी सं0 2 का 13/180, भगवान सहाय के समस्त वारिसान का 13/180 हिस्सा व सेलू राम के वारिसान का 13/180 हिस्सा है जिसमें वादी का 13/900 व मोहन लाल, लक्ष्मण, शारदा व सोना देवी का 13/900-13/900 हिस्सा है तथा शंकर के वारिसान का 13/180 हिस्सा व लहरी राम का 13/180 हिस्सा है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादी 13/900 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक व दादालाई आराजी है विवादित आराजी गैरमुमकिन आबादी है जो आबादी की श्रेणी में नही आकर कृषि भूमि की श्रेणी में ही आती है। विवादित आराजी खसरा नंबर 131 रकबा 0.19 हैक्टेयर में असल प्रतिवादी सं0 1 का 13/180, 10-2 का 13/180, भगवान सहाय के समस्त वारिसान का 13/180 हिस्सा व सेलू राम के वारिसान का 13/180 हिस्सा है जिसमें वादी का 13/900 व मोहन लाल, लक्ष्मण, शारदा व सोना देवी का 13/900-13/900 हिस्सा है तथा शंकर के वारिसान का 13/180 हिस्सा 1 लहरी राम का 13/180 हिस्सा है । इस प्रकार विवादित आराजी में वादी 13/900 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है अब विवादित आराजी में वादी व असल प्रतिवादीगण का शामलात में रहकर कार्य काश्त कर उपयोग व उपभोग करना संभव नही रहा है क्योंकि आए दिन वादी व प्रतिवादीगण का आपस में झगडा फसाद होता रहता है जिस कारण वादी व असल प्रतिवादीगण व तकमीली प्रतिवादीगण के बीच विवादित आराजी का विभाजन कराया जाना आवश्यक है कि असल प्रतिवादीगण के साथ वादी का उपयोग व उपभोग करना संभव नही रहा है और असल प्रतिवादीगण वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा डालते है असल प्रतिवादीगण ने दिनांक 24/10/2021 को वादी के उपयोग व उपभोग में मजाहमत पैदा की तथा वादी को अपने हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी और असल प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी को 1, बय, हिबे आदि से मुन्तकिल कर दिया तो वादी तबाह

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

व बर्बाद हो जावेगा और यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में कामयाव हो गए तो वादी को ऐसी भारी नापति होने वाली क्षति होगी कि जिसकी पूति द्रव्या " किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी इसलिए वादी, असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है तकमीली प्रतिवादीगण के खिलाफ वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है इसलिए भूमिधारी तहसीलदार अलवर को धारा 80 सी पी सी क तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है क्योंकि दावा तकसीम का भी है इसलिए भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। नगर विकास न्यास जरिये सचिव प्रतिवादी सं0 17 है जिसके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है नगर विकास न्यास का 1/10 हिस्सा संस्था के लिए है ।आत्माराम पुत्र नानक चन्द का विवादित आराजी 7/15 हिस्सा है इसलिए इसे तकमीली प्रतिवादी बनाया गया है जिसके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इण्डियन बैंक शाखा अलवर जरिये शाखा प्रबन्धक को तकमीली प्रतिवादी सं0 19 पक्षकार मुकदमा वनाया ह क्योंकि पक्षकारान ने बैंक से ऋण लिया हुआ ह जिस खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः डिक्री घोषणात्मक बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 131 रकबा 0.19 वाके ग्राम कीटोडा तहसील अलवर में वादी को 13/900 भाग का व असल प्रतिवादी सं0 1 का 13/180, प्रतिवादी सं0 2 का 13/180, भगवान सहाय के समस्त वारिसान का 13/180 हिस्सा व सेलू राम के वारिसान का 13/180 हिस्सा है जिसमें वादी का 13/900 व मोहन लाल, लक्ष्मण, शारदा रा सोना देवी का 13/900–13/900 हिस्सा है तथा शंकर के वारिसान का 13/180 हिस्सा व लहरी राम का 13/180 हिस्सा है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादी को 13/900 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाये। शेष इन्द्राजात ययावत कायम रखे जावे। डिक्री तकसीम बहक वादी विरुद्ध असल प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जाये कि वादी का विवादित आराजी खसरा नंबर 131 रकबा 0.19 है। वाके ग्राम कीटोडा तहसील व जिला अलवर राज0 में स्थित है जिसके 13/30 भाग को तकसीम किया जाकर असल प्रतिवादी सं0 1 का 13/180, प्रतिवादी सं0 2 का 13/180, भगवान सहाय के समस्त वारिसान का 13/180 हिस्सा व सेद् राम के वारिसान का 13/180 हिस्सा है जिसमें वादी का 13/900 व मोहन लाल, लक्ष्मण, शारदा व सोना देवी का 13/900–13/900 हिस्सा है तथा शंकर के वारिसान का 13/180 हिस्सा व लहरी राम का 13/180 हिस्सा है । इस प्रकार विवादित आराजी में वादी 13/900 हिस्से का काबिज खातेदार तकसीम किया जावे और तकसीमशुदा आराजी पर वादी को दखल दिलाया जावे तथा तकमीली प्रतिवादी सं0 18 आत्माराम पुत्र नानक चन्द का 7/15 हिस्स व तकमीली प्रतिवादी सं0 19 महकमा नगर विकास न्यास का 1/10 हिस्सा अलग अलग किया जावे तद्नानुसार ही तितम्वा काटा जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिर्य सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण 01,03,05,06,07,08,09,10 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 व सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर कथन किया की वादी व असल प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी को यह बखूबी जानकारी है,कि प्रतिवादी नं.02 रामोती देवी व प्रतिवादी नम्बर 11 छोटे लाल का स्वर्गवास अरसा करीब 05–06 वर्ष पूर्व हो गया है। जिसके दाह संस्कार में वादी भी शामिल हुआ है। लेकिन वादी ने अपने मौजूदा दावें ने रामोती देवी ने प्रतिवादी नम्बर 11 छोटे लाल को गलत तरीके पर पक्षकार बनाया है। जिससे वादी का वाद अवैट हो चुका

खण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

है। वादी ने मरे हुए व्यक्ति प्रतिवादी व्यक्ति 02 व 11 के खिलाफ मौजूदा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी अबैट फरमाया जावें। वकील वादी नें प्रार्थना–पत्र आर्डर 22 रूल 09 जा0 दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व असल प्रतिवादीगण स्व0 सोहन लाल के वंशज है। जिनका आपस में आना–जाना नहीं है। एक–दूसरे के गमी व खुशी के मौके पर आते जाते नहीं है। वादी उक्त दोनों रामोती देवी व छोटे लाल के दाह संस्कार में नही गया इसलिए वादी को इस तथ्य की जानकारी नही रही की उक्त दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 जा0दी0 पेश किया तब वादी को इनकी जानकारी हुई है। उक्त दोनों प्रतिवादीयों को हाल जमाबन्दी में नाम होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनयाया गया है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व 53,88,89,189 रा.का. अधिनियम के तहत वाद दायर किया है। तथा धारा–53 का वाद अबैट नही होता है। वादी का वाद संधारण योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षों की बहस सुनी वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्व दावा पेश किया है। मृतक व्यक्ति के विरूद्व वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वादी को भली प्रकार से जानकारी होने के उपरान्त भी वादी ने मृतक के विरूद्व वाद पेश किया है। वाद में वर्णित आराजी कस्टोडियन की आराजी है। इसलिए भी वाद न्यायालय में चलने योग्य नही है अतः वादी का वाद अबैट फरमाया जावें। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस के ताईद में 2018–19(Supp.) RRT page 92,2014(2) RRT page 873 , Rajasthan High Court jaipur न्यायिक द्रष्टान्त पेश किये।

वकीलवादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रश्नगत आराजी कस्टोडियन है या नही इससे कोई प्रभाव नही पडता है। मृतक प्रतिवादी के वारिसों को रिर्कोड पर लिया जा सकता है। विभाजन का वाद है। अतः अबैट नही होना चाहिए। वकील वादी ने अपनी बहस की ताईद में RRT 2016 (2) page 1235, RRD 1989 page 456, सम्मानीय द्रष्टान्त पेश किया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं सम्मानीय द्रष्टान्तो का अवलोकन किया। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया है,कि वादी एवं असल प्रतिवादीगंण स्व0 सोहन लाल के वंशज है। अर्थात एक ही परिवार के सदस्य है। वादी ने मौजूदा वाद दिनांक 02.11.2021 को पेश किया है। मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रतिवादी संख्या 02 रामौती का दिनांक 15.04.2017 एवं प्रतिवादी संख्या 11 छोटे लाल का स्वर्गवास दिनांक 15.05.2015 को होना अंकित किया हुआ है। यह बिन्दू गौर तथ्यात्मक है, कि वादी को प्रतिवादी संख्या–02 एंव प्रविादी संख्या–11 की मृत्यु की जानकारी नही थी। जबकि दोनो ही पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। प्रस्तुत प्रकरण पर वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सम्मानीय न्यायिक द्वष्टान्त **2014(2) RRT page 873 , Rajasthan High Court jaipur raghuveer singh & ors. Vs. ridmal Singh & ors. S.B. civil second Appeal NO.60 of 2011 decided on 02 apirl 2014** -- Code of Civil Procedure, 1908-Order 22 Rule 4, 9 & 10 Pending first appeal respondent Nos. 3 & 7 died-Appellant sought declaration from the land of repsondent Nos. 1 to 9-Appeal against dead persons Provisions of Rule 4 of Order 22 cannot be invoked-Appellant was the co-owner of the land in question & being neighbour it can not be said that he was unknown

खण्ड अधिकारी

with the death-Held, Applications not maintainable & dismissed & judgment & decree is set aside & case remanded to First Appellate Court. and

2018–19(Supp.) **RRT page 92 Board of Revenue for Rajathan, Ajmer Man Singh & ors. Vs. Bhudev Singh & ors. Revision Ta No. 3516/bharatpur of 2013 Decided 23rd May 2017** --Code of Civil Procedure, 1908-Order 22, Rule 4-Respondent 'D' died pending appeal-Revenue Appellate Authority allowed the application to substitute the L.R's-No application filed under Rule 9-Appeal abated automatically after 90 days-Held, Order impugned is set aside to the extent of 'D'. मौजूदा प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। उपरोक्त सम्मानीय न्यायिक द्रष्टान्तो की रोशनी में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादी अबैटमेन्ट में खारिज किया जाता है।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर